छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 540/2007</u>

1. श्री सी0 उन्नीकृण्णन, - अपीलार्थी
क्वार्टर नंबर- 18/27,
हास्पिटल कालोनी, एस0ई0सी0एल0,
जिला- कोरबा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, - प्रति अपीलार्थी
कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
हसदेव परियोजना मण्डल, रामपुर
जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 17 अगस्त, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता के समक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 07.10.2006 एवं 26.10.2006 को आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पर दिनांक 29.12.2006 को अधूरी जानकारी प्राप्त हुई और उनके द्वारा दिनांक 19.12.2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का निराकरण नहीं होने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 30.05.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रति अपीलार्थी द्वारा यह उत्तर प्रस्तुत किया गया कि संबंधित शाखाओं में कुछ रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जानकारी देने में विलंब हुआ, उसके बाद पुनः खोजकर पूर्ण जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी गई है । अपीलार्थी द्वारा पुनः दिनांक 26.10.2006 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य अभियंता की प्रतिलिपि चाही गई, किन्तु उक्त पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण वह उन्हें प्रदान नहीं किया जा सका है । अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि स्थापना शाखा द्वारा जानकारी जानबुझकर छिपाई जा रही है और उन्हें प्रदान नहीं किया जा रहा है । प्रकरण के रिकार्ड को देखने से स्पष्ट है कि

अधिकांश जानकारी अपीलार्थी को प्रदान करा दी गई है, किन्तु जानकारी विलंब से दी गई और प्रथम अपील करने के बाद दी गई है, किन्तु फिर भी जानकारी नहीं देने अथवा छुपाने का प्रकरण प्रतीत नहीं होता है और कोई दुर्भावना भी प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रति अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की शास्ति की कार्यवाही आवश्यक नहीं है । प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जो जानकारी शेष रही है उसे कार्यालय में पुनः खोजा जावे और जानकारी मिल जाती है तो अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क सभी शेष जानकारी प्रदाय कर दिया जावे । यदि कोई जानकारी नही मिलती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर त्रुटिकर्ता कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे और पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जावे । साथ ही अपूर्ण एवं विलंब से जानकारी दिये जाने के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 400/- रूपये अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त